

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा , राजस्थान जयपुर

वित्त भवन ,ए-ब्लॉक , ज्योति नगर जनपथ , जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837 , फ़ैक्स 0141-2742309 ,ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(डी-26 / 2013) / अलेसे-III / 6489

दिनांक:- 20/08/2025

कार्यालय आदेश

श्रीमती संगीता सांखला, कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई को, इनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं बाबत विभागीय जांच प्रस्तावित होने के कारण राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के तहत शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर ने आदेश क्रमांक प. 25(22)साप्र/4/2025 दिनांक 07.07.2025 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। उक्त आदेश की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है। निलम्बन काल में श्रीमती संगीता सांखला, कनिष्ठ लेखाकार का मुख्यालय कोषाधिकारी, नागौर रहेगा।

श्रीमती संगीता सांखला, कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(डी-26 / 2013) / अलेसे-III / 6489

दिनांक:- 20/08/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन ग्रुप-4 विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उप महाप्रबंधक, राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई।
4. प्रबंधक, राजस्थान सूचना केन्द्र, मुम्बई।
5. कोषाधिकारी, नागौर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव निदेशक महोदय।
7. श्रीमती संगीता सांखला, कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई।
8. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
9. जांच शाखा / पदस्थापन सीट / निजी / रक्षित पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)